

अध्याय - 3

अध्याय-तीन

लेन-देन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

राज्य सरकार की कम्पनियों द्वारा किये गए लेन-देन की नमूना जाँच से उत्पन्न महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को इस अध्याय में सम्मिलित किया गया है।

सरकारी कम्पनियाँ

मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड

3.1 ब्याज का परिहार्य भुगतान

नियत तिथि पर वार्षिक आयकर विवरणी न भरने एवं अग्रिम कर के प्रेषण में कमी के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ (एम0पी0ए0के0वी0एन0) एवं ₹ 77.90 लाख (एम0पी0ए0आई0) के ब्याज का परिहार्य भुगतान।

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा-208 के अनुसार ऐसे प्रत्येक प्रकरण में जहाँ कि वर्ष के दौरान कर निर्धारिती द्वारा देय इस तरह के कर की राशि दस हजार¹ या अधिक हो वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम कर (ए0टी0) देय होगा। अधिनियम की धारा-234 (ब) उपबन्ध के अनुसार जहाँ किसी भी वित्तीय वर्ष में एक कर निर्धारिती जो कि धारा 208 के अधीन अग्रिम कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी है यदि इस तरह के कर के भुगतान में असफल रहता है या ऐसे कर निर्धारिती द्वारा देय अग्रिम कर निर्धारित कर के 90 प्रतिशत से कम रहता है, उस दशा में देय अग्रिम कर एवं निर्धारित कर की अन्तर राशि पर प्रथम अप्रैल से एक प्रतिशत प्रति माह की दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिए कर निर्धारिती दायी होगा।

इसी तरह, अधिनियम की धारा-234 (स) के अनुसार यदि एक कर निर्धारिती अग्रिम कर भुगतान में असफल रहता है या देय अग्रिम कर 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर एवं 31 मार्च को देय कर से क्रमशः 15 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 75 प्रतिशत एवं 100 प्रतिशत कम रहता है उस दशा में कमी की राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज के भुगतान के लिए कर निर्धारिती उत्तरदायी होगा। धारा-234 (अ) में उपबन्ध की शर्तों के अनुसार आयकर विवरणी यदि किसी वर्ष में नियत तिथि के बाद दायर की जाती है तो उस स्थिति में निर्धारित आय से अग्रिम कर एवं स्रोत पर कटौती/संग्रहण को कम करके शेष राशि पर प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज आरोपित किया जायेगा।

हमने पाया कि दो कम्पनियाँ, मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड (अ) एवं मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (ब), ने नियत समय

¹ 1-04-2009 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2009 के द्वारा पाँच हजार से प्रतिस्थापित।

में अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया एवं साथ² ही वार्षिक आयकर विवरणी भी नियत तिथि तक दायर नहीं किया जैसा कि निम्न परिच्छेद ख (ड) में वर्णन किया गया है।

(अ) मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच में यह ज्ञात हुआ कि एम0पी0ए0के0वी0एन0 नियत तिथि पर वार्षिक आयकर विवरणी भरने तक एवं अपेक्षित प्रतिशत से अग्रिम कर के भुगतान में अनियमित रहा है। वर्ष 2006-07 से 2010-11 के लेखों को अन्तिम रूप देने में विलंब के कारण एम0पी0ए0के0वी0एन0 ने कर निर्धारण वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 के वार्षिक आयकर विवरणी, वर्ष 2010-11 में दायर की थी एवं कर निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए वर्ष 2011-12 में दायर की थी। कर निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के संबंध में एम0पी0ए0के0वी0एन0 को अभी भी आयकर विवरणी दायर करनी है (अगस्त 2012) किन्तु अग्रिम कर का भुगतान किया जा चुका है। एम0पी0ए0के0वी0एन0 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए ₹ 2.25 करोड़ ब्याज के रूप में भुगतान किया गया है, जबकि उचित तरीके से कर निर्धारण एवं अग्रिम कर की त्रैमासिक किस्तों के नियत तिथि पर भुगतान करने पर व्यय परिहार्य था। इसी तरह, एम0पी0ए0के0वी0एन0 द्वारा कर का निर्धारण अनियमित रहा जैसा कि निगम ने ₹ 1.31 करोड़, ₹ 0.21 करोड़ एवं ₹ 1.46 करोड़ क्रमशः कर निर्धारण वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के लिए अधिक स्वनिर्धारित कर का भुगतान किया।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि लेखों को अंतिम रूप देने में विलंब एवं अग्रिम कर का सटीक अनुमान न होना अग्रिम कर के भुगतान में विलंब के मुख्य कारण थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के उपबन्धों की दृष्टि से जो कि यह स्पष्ट करता है कि यह एम0पी0ए0के0वी0एन0 का दायित्व है कि वह वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अन्तिम लेखों को अशंघारियों की वार्षिक साधारण सभा में प्रस्तुत करें। इसी तरह एम0पी0ए0के0वी0एन0 स्वयं की बिक्री पर उपलब्ध लाभ के आधार पर संबंधित वर्षों के लिए कर दायित्व का अनुमान कर सकता था।

(ब) मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एम0पी0ए0आई0) के अभिलेखों की जाँच में प्रकट हुआ कि एम0पी0ए0आई0 ने कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक कर दायित्व ₹ 6.84 करोड़ निर्धारित किया लेकिन मार्च 2011 तक अग्रिम कर के रूप में ₹ 5.27 करोड़ एवं आयकर विवरणी दायर करते समय (सितम्बर 2011) स्व निर्धारित कर के रूप में ₹ 1.72 करोड़ का भुगतान किया। अतः एम0पी0ए0आई0 से ₹ 66.59 लाख के ब्याज भुगतान की माँग की गयी। इसी तरह, कर निर्धारण वर्ष 2010-11 में एम0पी0ए0आई0, अधिनियम की धारा 208 के उपबन्धों के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के रूप में ₹ 11.31 लाख का भुगतान करना पड़ा।

प्रबन्धन ने कहा (मार्च 2012) कि कर निर्धारण वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 780 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध कुल आवर्त (बिक्री) ₹ 1017.59 करोड़ रहा एवं केवल मार्च 2011 में आवर्त ₹ 165 करोड़ रहा। अतः निगम आय का पूर्वानुमान सही न कर सका। तथ्य अभी भी शेष है कि वर्ष समाप्ति के दौरान किसी महत्वपूर्ण बदलाव को ध्यान में लेने के लिए ताकि

² धारा 234 (अ) के अधीन - 93.14 लाख, धारा 234 (ब) के अधीन - 109.05 लाख एवं धारा 234 (स) के अधीन - 22.56 लाख।

³ धारा 234 (ब) के अधीन - 40.93 लाख एवं धारा 234 (स) के अधीन - 25.66 लाख।

⁴ धारा 234 (ब) के अधीन - 5.34 लाख एवं धारा 234 (स) के अधीन - 5.97 लाख।

अग्रिम कर का अनुमान अधिक सटीक हो सके लक्षित आय की आवधिक समीक्षा के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र का अभाव था।

प्रकरण सरकार को (जून 2012) प्रेषित किया गया एवं उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2013) है।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

3.2 उत्पाद शुल्क पर परिहार्य व्यय

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं (आई0सी0बी0) के माध्यम से विद्युत उपकरण की अधिप्राप्ति (खरीद) पर निविदा को अन्तिम रूप देने में असफलता के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क पर ₹ 30.70 लाख का परिहार्य व्यय।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत उत्पादन के कार्य में संलग्न है। जनवरी 2007 में भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने खण्डवा जिले में 1200 एम0डब्ल्यू0 (दो इकाई प्रत्येक 600 एम0डब्ल्यू0की) के मालवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट⁶ को स्वीकृति दी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना 6/2006-सी0ई0/दिनांक 1 मार्च 2006 के क्रमांक 91 की शर्तों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं (आई0सी0बी0) के विरुद्ध आपूर्तित सभी सामग्री उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त होगी। तदनुसार, उत्पाद शुल्क छूट प्राप्त करने के लिए कम्पनी ने आई0सी0बी0 के माध्यम से निविदाएँ आमन्त्रित की (फरवरी 2007) एवं मुख्य संयंत्र पैकेज, शेष संयंत्र पैकेज एवं सामान्य सिविल कार्य पैकेज के लिए क्रमशः भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लारसेन एण्ड टुर्बो लिमिटेड एवं प्रसाद एण्ड कम्पनी का नाम बोली लगाने वालों में से अन्तिम रूप से चयनित किया। यद्यपि कम्पनी ने इस परियोजना के लिए स्थाई निर्माण पावर हेतु 33/11 के0व्ही0 के वाह्य उपकेन्द्रों के निर्माण एवं आपूर्ति के लिए मुक्त निविदा आमन्त्रित की (जून 2008) एवं इसे उत्पाद शुल्क सम्मिलित करते हुए ₹ 4.90 करोड़ की एक मुश्त राशि पर न्यूनतम निविदा के आधार पर अग्रवाल एजेन्सी के साथ अन्तिम रूप दिया (सितम्बर 2009)।

हमने पाया कि कम्पनी इस निविदा को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी निविदाओं (आई0सी0बी0) के माध्यम से अन्तिम रूप दे सकती थी एवं उत्पाद शुल्क छूट प्राप्त कर सकती थी। ऐसा न करके, कम्पनी ने न केवल उत्पाद शुल्क छूट के लाभ को खोया बल्कि परियोजना की लागत को न्यूनतम करके स्वयं के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने में असफल रही। संयोगवश, कम्पनी ने समान परियोजना के लिए प्रीफेब्रीकेटेड एकोमोडेशन विल्डिंगस की स्थापना एवं आपूर्ति के तुलनात्मक रूप से छोटे कार्य के लिए आई0सी0बी0 के माध्यम से निविदा आमन्त्रित (फरवरी 2012) की एवं निविदा को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ₹ 1.55 करोड़ मूल्य के लिए अप्रैल 2012 में मेसर्स विधा सिलिण्डर्स प्राईवेट लिमिटेड को आदेश प्रस्तुत किया।

इस तरह, आई0सी0बी0 के माध्यम से अग्रवाल एजेन्सी को आदेश के अन्तिम रूप न दिये जाने के परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क पर ₹ 30.70 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

⁵ अगस्त 2009 में श्री सिधांजी थर्मल पावर के नाम से पुनर्स्थापित।

⁶ प्रारम्भ (जनवरी 2007) में 1000 एम डब्ल्यू (दो इकाई प्रत्येक 500 एम डब्ल्यू की) के लिए स्वीकृति।

प्रबन्धन ने कहा (अक्टूबर 2012) कि चूंकि आई0सी0बी0 एक अधिक समय लेने वाली प्रक्रिया है और स्थाई निर्माण पावर की अविलंब आवश्यकता थी इसलिए आई0सी0बी0 की प्रक्रिया को नहीं अपनाया जा सका। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रबन्धन को कार्य के कार्यान्वयन के लिए योजना पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए था ताकि आई0सी0बी0 को प्राप्त उत्पाद शुल्क छूट का लाभ कम्पनी को प्राप्त हो सके।

सरकार को प्रकरण के सम्बन्ध में सूचित किया गया (जून 2012), उनके उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2013) है।

3.3 ब्याज की परिहार्य हानि

नवीन शुरू की गई इकाईयों के लिए अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर करने में असाधारण विलंब के कारण ₹ 58.53 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति के स्थगन एवं परिणामस्वरूप ₹ 3.14 करोड़ के ब्याज की हानि।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) को विद्युत शक्ति उत्पादन के उद्देश्य से संयुक्त/निगमित किया गया है। निगम के उत्पादन केन्द्रों के लिए प्रशुल्क सूची निर्धारित करने के क्रम में कम्पनी को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम0पी0ई0आर0सी0) को प्रशुल्क सूची याचिका दायर करनी होती है। तदनुसार, कम्पनी ने पाँच इकाईयों के लिए 11 अक्टूबर 2006⁷ एवं 20 अगस्त 2009⁸ को दो प्रावधिक प्रशुल्क सूची याचिका दायर की जिन्होंने 20 अगस्त 2006 से 18 अगस्त 2007 की अवधि में वाणिज्यिक गतिविधियाँ आरम्भ की थी। मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने स्थाई प्रभार का 95 प्रतिशत की अनुमति देते हुये दो प्रावधिक प्रशुल्क सूची याचिका के विरुद्ध 18 जनवरी 2008 एवं 5 जनवरी 2010 को प्रावधिक प्रशुल्क सूची आदेश जारी किया एवं कम्पनी को निर्देश दिया कि अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर इन इकाईयों के लिए अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर करें। प्रावधिक प्रशुल्क सूची याचिका दायर की दिनांक एवं प्रावधिक प्रशुल्क सूची आदेश की दिनांक के सम्बन्ध में विवरण **अनुलग्नक-15** एवं एमपीईआरसी द्वारा अनुमोदित एवं स्वीकृत परियोजनावार स्थाई प्रभार **अनुलग्नक-16** में दिया गया है।

हमने पाया (जनवरी 2012) कि कम्पनी इन पाँच इकाईयों के सम्बन्ध में 2006-07 से 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 58.53 करोड़ मूल्य के शेष 5 प्रतिशत स्थाई प्रभार के दावे के लिए अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर करने में असफल रही। यद्यपि कम्पनी ने अपने लेखे वर्ष 2011-12 तक के लिए अन्तिम रूप से पूर्ण कर लिए थे। संयोगवश, यह पाया गया कि कम्पनी ने अमरकण्टक थर्मल पावर केन्द्र इकाई-5 के सम्बन्ध में इसके शुरू होने की तारीख से दो वर्ष एवं तीन माह में अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर (दिसम्बर 2011) की एवं अन्तिम प्रशुल्क सूची आदेश मई 2012 में प्राप्त किया। जबकि एमपीईआरसी ने 2007-08 से 2008-09 एवं 2009-10 से 2010-11 की अवधि के लिए उत्पादन प्रशुल्क सूची आदेश जारी किया और निर्देशित किया (जनवरी एवं मार्च 2010⁹) कि इन इकाईयों के अन्तिम प्रशुल्क सूची निर्धारित करने के लिए अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर कम्पनी याचिका दायर करें। एम0पी0ई0आर0सी0 के निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन में कम्पनी ने जून 2010 एवं मार्च 2011 के मध्य आवधिक रूप से सूचित किया कि परियोजना की

⁷ बाणसागर थर्मल पावर स्टेशन इकाई-4, मधियेडा हाईडल पावर स्टेशन (एच0पी0एस) इकाई-1, मधियेडा एचपीएस इकाई-2, जिन्हा इकाई-1

⁸ मधियेडा एच0पी0एस इकाई-3

⁹ 2007-08 से 2008-09 की अवधि के लिए मधियेडा इकाई प्रशुल्क सूची आदेश एवं 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए मल्टीयर प्रशुल्क सूची क्रमशः 5 जनवरी 2010 एवं 3 मार्च 2010 को जारी।

अंकेक्षित पूँजी लागत विवरण तैयार किया जा रहा है। इसके पश्चात् अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर की जायेंगी। हालांकि, कम्पनी ने इन इकाईयों के लिए अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका इन इकाईयों के वाणिज्यिक गतिविधियों के आरम्भ होने के पाँच वर्षों बाद अत्याधिक विलंब के साथ दायर (जुलाई 2012) की। मधुखेड़ा हाईडल पावर स्टेशन इकाई 1,2 एवं 3 के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा दायर प्रशुल्क सूची याचिका मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के पास विचाराधीन है। बाणसागर इकाई 4 एवं जिन्हा इकाई 1 के सम्बन्ध में याचिका एमपीईआरसी द्वारा इन निर्देशों के साथ निरस्त (अक्टूबर 2012) कर दी गयी की कम्पनी उचित विवरण सहित पुनः याचिका दायर करें। चूँकि कम्पनी ने परियोजना के लिए पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन (पी0एफ0सी0) से ऋण लिया था एवं उस पर ब्याज भी चुकाया है, एम0पी0ई0आर0सी0 से स्वीकार्य स्थाई प्रभार के दावे के क्रम में परियोजना लागत को अन्तिम रूप दिये जाने में शीघ्रता की जानी चाहिए थी।

इस तरह, अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर करने में विलंब के कारण ₹ 58.53 करोड़ के राजस्व प्राप्ति के स्थगन एवं परिणामस्वरूप ₹ 3.14¹⁰ करोड़ ब्याज की हानि हुई।

प्रबन्धन ने कहा (सितम्बर 2012) कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल के विघटन के पश्चात् आगामी संस्थागत इकाईयाँ रोकड़ प्रवाह तंत्र के अधीन कार्य कर रही है, जिनमें समस्त कोष संग्रहित एवं वितरित एम0पी0एस0ई0बी0 द्वारा किया जाता है तथा पूँजीगत कार्यों एवं कार्यशील पूँजी की आवश्यकता के लिए ऋण की प्राप्ति पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन से एम0पी0एस0ई0बी0 द्वारा की जाती है एवं पुनर्भुगतान भी किया जाता है। इसी तरह यह कहा गया कि समस्त स्थाई लागत एम0पी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित खुदरा प्रशुल्क सूची के माध्यम से वसूल की जाती है।

कम्पनी का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्युत के खुदरा पूर्ति एवं वितरण के लिए प्रशुल्क सूची निर्धारण की शर्तें उत्पादन प्रशुल्क सूची निर्धारण के लिये लागू शर्तों से भिन्न हैं। इसी तरह पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन से परियोजनाओं के लिए लिये गये ऋणों जो कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा पुनर्भुगतान किया जाता है, अन्तिम रूप से कम्पनी के विरुद्ध ही लेखाबद्ध किये जायेंगे। कम्पनी को अन्तिम प्रशुल्क सूची याचिका दायर की देख-रेख के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र का विकास करना चाहिए ताकि कम्पनी के राजस्व की समय से प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

सरकार को प्रकरण के सम्बन्ध में सूचित किया गया (जून 2012) उनके उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2013) है।

3.4 ब्याज का वसूल न होना

कम्पनी असमायोजित ब्याज रहित अग्रिम पर ₹ 43.92 लाख के ब्याज आरोपित करने में असफल रही।

मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) ने इसके अमरकण्टक थर्मल पावर स्टेशन एवं चर्चई के दो इकाईयों प्रत्येक 1200 एम0डब्ल्यू0 के टरवाइन जनरेटर एवं ऑक्सीलरीज के नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, पूरी जाँच और मरम्मत कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि जो कि 18 माह (दिसम्बर 2008) एवं 28 माह (अक्टूबर 2009) क्रमशः

¹⁰

2006-07 से 2010-11 की अवधि में पी0एफ0सी द्वारा ऋणों पर औसत दर पर देय ब्याज।

आपूर्ति एवं सर्विस पोर्सन के लिए थी को ₹ 59.80 करोड़¹¹ की लागत पर एन0टी0पी0सी0 आल्सटम पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) को सौंपा। कार्य मार्च 2012 में पूर्ण हुआ किन्तु एक इकाई के सिन्क्रोनाइजेशन के बाद ज्ञात कुछ समस्याओं/कमी के कारण सुधारीकरण का कार्य आगामी वार्षिक मरम्मत कार्यक्रम में नियोजित किया गया जो कि अभी भी (फरवरी 2013) होना शेष है। कम्पनी ने आपूर्ति की लागत के 15 प्रतिशत के ब्याज रहित अग्रिम ₹ 6.55 करोड़ का भुगतान (जून 2007) किया। संविदा समझौते की शर्तों के परिच्छेद 9.4 के अनुसार ठेकेदार को सुनिश्चित किये जा सकने वाले कारणों की वजह से यदि संविदात्मक कार्यपूर्णता तिथि तक यदि कार्य पूर्ण नहीं होता है, तो ऐसी दशा में कार्यपूर्णता की संविदात्मक तिथि से कार्यपूर्णता की वास्तविक तिथि तक असमायोजित अग्रिम पर 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भुगतान के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

हमने पाया (फरवरी 2012) कि कम्पनी ने फर्म द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न करने पर भी आपूर्ति के लिए असमायोजित अग्रिम पर संविदा के परिच्छेद 9.4 के प्रावधान के अनुसार 14 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज आरोपित नहीं किया। कम्पनी ने इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए पावर फाईनेन्स कॉर्पोरेशन से फण्ड उधार लिया था, जिस पर 9 प्रतिशत की दर से कम्पनी द्वारा ब्याज का भुगतान किया जा रहा है।

कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि के बाद संविदात्मक प्रावधानों के अनुसार ब्याज आरोपित करने में कम्पनी की असफलता के परिणामस्वरूप असमायोजित अग्रिम पर ₹ 43.92 लाख की वसूली नहीं हो सकी।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2012) कि मरम्मत एवं अनुरक्षण का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् फर्म को सुनिश्चित किये जा सकने वाले कारणों सहित विलंब को सुनिश्चित करके ब्याज रहित असमायोजित अग्रिम पर ब्याज वसूल किया जावेगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कम्पनी पहले ही कार्य पूर्ण करने में विलंब के लिए नकदी क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 36.33 लाख (अगस्त 2012) आरोपित कर चुकी है जो कि ठेकेदार को सुनिश्चित किये जा सकने योग्य है। इसी तरह, यद्यपि ठेकेदार ने मार्च 2012 में कार्य पूर्ण किया लेकिन अभी तक (फरवरी 2013) अन्तिम बिल प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार असमायोजित अग्रिम पर ब्याज कार्यपूर्णता की निर्धारित तिथि से वसूल किया जाना चाहिए था।

प्रकरण सरकार को सूचित (जुलाई 2012) किया गया एवं उनका उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2013) है।

मध्यप्रदेश मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड

3.5 सेवा कर का परिहार्य दायित्व

वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर संग्रहित करने के कारण ₹ 1.04 करोड़ का परिहार्य दायित्व एवं उस पर अनुवर्ती ब्याज एवं अर्थदण्ड।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण के व्यवसाय को संचालित करती है। मध्यप्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता, 2004 के अनुसार उपभोक्ता कम्पनी के मुख्य वितरण से अपने परिसर तक सेवा लाईन भी प्राप्त कर

¹¹ ₹ 43.67 करोड़ के सामग्री की आपूर्ति एवं ₹ 16.13 करोड़ की सर्विसेज ।

सकता है जिसके लिए उपभोक्ता कम्पनी द्वारा अनुमोदित आकलन पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम0पी0ई0आर0सी0) द्वारा स्वीकृत पर्यवेक्षण प्रभार के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना दिनांक 2 जुलाई 1997 (क्रमांक 23/97) जो कि 7 जुलाई 1997 से प्रभावी, के अनुसार प्रत्येक परामर्शी अभियांत्रिकी सेवा प्रदान करने वाला पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर के संग्रहण एवं प्रेषण के लिए उत्तरदायी होगा। इस तरह, कम्पनी स्वयं के द्वारा संग्रहित पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी थी।

हमने पाया कि केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर विभाग (विभाग) ने एक कारण बताओ सूचनापत्र मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (एम0पी0एस0ई0बी0) को ब्याज एवं अर्थदण्ड सहित ₹ 0.19 लाख मूल्य के सेवा कर के भुगतान के लिए भेजा (मई 2004)। हमने जुलाई 1997 से जनवरी 2005 की अवधि के लिए कम्पनी द्वारा संग्रहित एवं प्रेषित पर्यवेक्षण प्रभार पर यदि कोई जानकारी हो सेवा कर के विवरण के लिए माँगी। यद्यपि, यह जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।

इसी प्रकार, हमने पाया कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल (एम0पी0एस0ई0बी0) विभाग द्वारा भेजे गये सूचना पत्र की जानकारी के पश्चात् कम्पनी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को नियमानुसार पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर संग्रहित कर उसे सेवा कर प्राधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिये (जनवरी 2005)। तदनुसार, सेवा कर मई 2007 तक संग्रहित एवं प्रेषित किया गया। तत्पश्चात् मई 2007 में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल द्वारा प्राप्त वैधानिक सलाह के आधार पर कम्पनी ने पर्यवेक्षण प्रभारों को संग्रहित एवं प्रेषित करना बंद कर दिया। हालांकि, एम0पी0एस0ई0बी0 ने कम्पनी को परामर्श दिया (मई 2007) कि यदि सेवा कर का भुगतान होना था तो यह विरोध के अन्तर्गत (चुकाये गये कर के लिए पुनर्भुगतान के दावे के लिए आरक्षण सहित) किया जा सकता था।

वर्ष 2004 में सेवा कर विभाग द्वारा जारी माँग को सेवा कर प्राधिकार द्वारा पुनः सुनिश्चित किया गया (जुलाई 2011)। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने रद्दीकरण के आदेश से असंतुष्ट होकर केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर आयुक्त (अपील) भोपाल के यहाँ याचिका दायर की। आयुक्त (अपील) ने भी पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर की माँग को सुनिश्चित किया (नवम्बर 2011)। तदनुसार, अप्रैल 2012 से प्रभावी एवं पश्चात्पूर्वी कम्पनी ने पर्यवेक्षण प्रभार पर सेवा कर संग्रहित एवं प्रेषित किया जाना आरम्भ किया।

कम्पनी के 28 संभागों में हमारे परीक्षण (मई 2012) से ज्ञात हुआ कि पर्यवेक्षण प्रभार की ईनवाईसिंग की गयी कम्पनी ने 2007-08 से 2011-12 तक की अवधि के लिए ₹ 1.04 करोड़ के सेवा कर का संग्रहण नहीं किया। हमने यह भी पाया कि विभाग के कारण बताओ सूचनापत्र (मई 2004) के आधार पर कम्पनी ने जनवरी 2005 से मई 2007 तक सेवा कर संग्रहित किया एवं तत्पश्चात् सेवा कर का संग्रहण बंद कर दिया। उपभोक्ताओं से सेवाकर निरन्तर संग्रहित करके उसे विरोध के अन्तर्गत (पुनर्भुगतान की दृष्टि से) प्रेषित किया जा सकता था, जैसा कि मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मण्डल ने परामर्श दिया था। इससे कम्पनी के वित्तीय हितों को सुरक्षित रखा जा सकता था। इस तरह उपभोक्ताओं से सेवा कर संग्रहण न करने का कम्पनी का निर्णय अविवेकपूर्ण था एवं फलस्वरूप ₹ 1.04 करोड़

के सेवा कर के साथ ही उस पर ब्याज¹² एवं अर्धदण्ड ₹ 1000 का परिहार्य भार पड़ा जिसे कम्पनी को अपनी आय से भुगतान करना होगा।

प्रबन्धन ने कहा (अगस्त 2012) कि कानूनी परामर्श के अनुसार सेवा कर संग्रहित नहीं किया जाना था। हालांकि, केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर आयुक्त (अपील) के नवम्बर 2011 के आदेश के पश्चात् कम्पनी ने सेवा कर संग्रहित करना आरम्भ कर दिया। यह भी कहा गया कि यद्यपि कम्पनी ने पूर्व अवधि के लिए सेवा कर का संग्रहण नहीं किया अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कम्पनी का निर्णय अविवेकपूर्ण था। तथ्य अभी भी शेष है कि केन्द्रीय उत्पाद, सीमा एवं सेवा कर आयुक्त (अपील) के यहाँ लंबित निर्णय होते हुए भी कम्पनी उपभोक्ताओं से सेवा कर संग्रहित कर उसे विरोध के अन्तर्गत प्रेषण न करके अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने में असफल रही। इसी तरह यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि दो अन्य विद्युत वितरण कम्पनी जैसे मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी 2007-08 से 2011-12 की अवधि में सेवा कर के संग्रहण एवं भुगतान में नियमित रही है।

प्रकरण सरकार को सूचित (जून 2012) किया गया एवं उनके उत्तर प्रतीक्षित (जनवरी 2013) है।

3.6 राजस्व की परिहार्य हानि

कम्पनी के द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियम, 2009 के द्वारा स्वीकार्य एक प्रतिशत की सीमा से कम ऋण की राशि का समायोजन किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.99 करोड़ की परिहार्य हानि हुई।

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (कम्पनी) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एम.पी.ई.आर.सी.) के द्वारा समय सीमा पर निर्धारित टैरिफ के आधार पर उपभोक्ताओं को ऊर्जा के वितरण का कार्य करती है। एम.पी.ई.आर.सी. (टैरिफ के निर्धारण के नियम और शर्तें) विनियम, 2009 के खण्ड 33 के अनुसार, कम्पनी की लेखापुस्तकों, डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के रूप में अपलिखित की जाने वाली राशि, वार्षिक राजस्व की अधिकतम एक प्रतिशत सीमा के अधीन ही टैरिफ गणना के लिए खर्च के रूप में मान्य होगी।

हमने पाया (अगस्त 2012) कि कम्पनी ने वर्ष 2010-11 में स्वीकार्य राशि ₹ 33.12 करोड़ की राशि जो कि इसकी कुल आय ₹ 3311.35 करोड़ का एक प्रतिशत है, की तुलना में ₹ 26.13 करोड़ की राशि डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के रूप में अपलिखित की थी। जैसा कि कम्पनी ने आय के एक प्रतिशत की सीमा तक उपलब्ध लाभ का उपयोग ऋण अपलिखित करने हेतु नहीं किया, ₹ 6.99 करोड़ की अतिरिक्त आय जो वसूल की जा सकती थी, परन्तु वसूल नहीं हुई। इसके अलावा हमने पाया कि कम्पनी ने 31 मार्च 2011 को ₹ 1043.45 करोड़ का प्रावधान डूबत एवं संदिग्ध ऋण के लिए किया था। संयोग से हमने पाया कि वर्ष 2009-10 के दौरान, कम्पनी ने एम.पी.ई.आर.सी. के द्वारा अनुमोदित वार्षिक आय के एक प्रतिशत ₹ 28.88 करोड़ की तुलना में ₹ 41.41 करोड़ डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के रूप में थे और ₹ 12.55 करोड़ की अतिरिक्त हानि को अपनी आय में समायोजित करना पड़ा था, क्योंकि यह वार्षिक आय के एक प्रतिशत के परे थी। अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिये कम्पनी के लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि एम.पी.ई.आर.सी. के द्वारा स्वीकृत सीमा तक वसूली योग्य न रह गए डूबत ऋणों का टैरिफ के द्वारा दावा करने के लाभ का पूर्णतः

¹² मार्च 2011 तक 13 प्रतिशत एवं अप्रैल 2011 से 18 प्रतिशत।

उपयोग ऋणों को उस सीमा तक अपलिखित करने हेतु उपयोग करे जो अपलिखित करने योग्य है। ऐसा न करने से कम्पनी ने टैरिफ के द्वारा मिलने वाले ₹ 6.99 करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त होने का अवसर खो दिया।

प्रबंधन ने कहा (सितम्बर 2012) कि उन्होंने गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना 2010-11 में प्रारम्भ की थी, जिसके अंतर्गत वर्ष 2010-11 में ₹ 26.13 करोड़ अपलिखित किए गए थे। इसके अलावा यह भी कहा गया कि किसी वित्त वर्ष के दौरान आपूर्ति की गयी विद्युत के लिए प्राप्ति योग्य राशि जिसमें राज्य सरकार और सरकारी विभाग अथवा एजेंसियों में प्राप्त सब्सिडी शामिल होती है, जिसको अपलिखित करने के उद्देश्य से विचार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त उच्चदाब उपभोक्ताओं जिनके पावर कनेक्शन स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिए गए हैं के संबंध में, संदिग्ध ऋण के प्रावधान तथा डूबत ऋणों की राशि का अपलेखन कम्पनी के पास उपलब्ध समस्त सूचनाओं के दोहन तथा अपलेखन के लिए समुचित प्रक्रिया के अनुपालन के बाद ही होता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा कि वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनी ने ₹ 41.41 करोड़ तथा ₹ 49.01 करोड़ अपलिखित किए थे, जो कि इसकी आय के एक प्रतिशत से अधिक थे। इसके अलावा, उत्तर से एक अन्य विचार भी उत्पन्न होता है कि कम्पनी ने अपलिखित करने योग्य विशेष ऋणों की पहचान करने हेतु देनदारों का समयावधि अनुसार विवरण नहीं बनाए है। यह पहलू कम्पनी के चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट के द्वारा बार-बार कम्पनी के खातों पर, उनके प्रतिवेदनों में उल्लेख किया गया है।

प्रकरण सरकार को (अगस्त 2012) प्रेषित किया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड

3.7 राजस्व की हानि

आर.एस.एम.एम.एल के मूल्यों के आधार पर मूल्य पुनरीक्षण करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 77.68 लाख की आय की हानि।

मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (कम्पनी) अपनी हीरानगर तथा मेघनगर स्थित खदानों से रॉक फॉस्फेट निकालती है जिसे इसके सागर तथा मेघनगर स्थित उप कार्यालयों के द्वारा बेचा जाता है। रॉक फास्फेट का विक्रय मूल्य कम्पनी द्वारा राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (आर.एस.एम.एम.एल.) के द्वारा निर्धारित मूल्यों के संदर्भ के साथ निर्धारित किया जाता था।

हमने पाया (अक्टूबर 2011) की कम्पनी आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा रॉक फॉस्फेट के मूल्य में दस प्रतिशत की वृद्धि से प्रभावित हुई थी, यह इसके मूल्यों को आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा 20 जुलाई 2009 को निर्धारित मूल्य के आधार पर पुनरीक्षण करने में 16 जुलाई 2010 तक असफल रही। कम्पनी ने इसके मूल्यों में पुनरीक्षण 17 जुलाई 2010 से आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा एक अन्य पुनरीक्षण 1 जुलाई 2010 को करने के बाद किया। आर.एस.एम.एम.एल. के मूल्यों के आधार पर 20 जुलाई 2009 से 16 जुलाई 2010 तक मूल्य पुनरीक्षण प्रभावी करने में असफलता के परिणामस्वरूप आय में ₹ 77.68 लाख की हानि हुई। कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने भी (जुलाई 2010) आर.एस.एम.एम.एल. के मूल्य के अनुसार समय पर मूल्य पुनरीक्षण करने में देरी करने के लिए संबंधित अधिकारी पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया था।

प्रबंधन ने कहा (अक्टूबर 2011) कि इनके लिए यह बाध्यकारी नहीं था कि मूल्यों में वृद्धि आर.एस.एम.एम.एल. के आधार पर की जाए और आगे यह भी बताया कि सम्बन्धित अधिकारी से स्पष्टीकरण माँगने के बाद, उसे भविष्य में जागरूक और सतर्क रहने के निर्देश दिए गए थे। तथ्य यह है कि सम्बन्धित अधिकारी को कम्पनी के द्वारा चेतावनी दी गयी थी, जिससे यह साबित होता है कि आर.एस.एम.एम.एल. के मूल्यों के समान पुनरीक्षण करने में असफलता हुई थी। आगे कम्पनी लगातार रॉक फॉस्फेट का विक्रय मूल्य आर.एस.एम.एम.एल. के मूल्य को संदर्भ बिन्दु की तरह अपना कर तय कर रही है।

इस प्रकार कम्पनी के द्वारा रॉक फॉस्फेट के मूल्य में आर.एस.एम.एम.एल. के द्वारा निर्धारित मूल्यों के अनुसार पुनरीक्षण करने में देरी करने के परिणामस्वरूप ₹ 77.68 लाख की हानि हुई।

प्रकरण शासन को (जुलाई 2012) प्रेषित किया गया था तथा उनका उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2013)।

सामान्य

3.8 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणी

3.8.1 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सरकार के विभागों के विभिन्न कार्यालयों में संधारित लेखाओं तथा अभिलेखों के प्रारंभिक निरीक्षण के साथ आरम्भ होकर संवीक्षा की प्रक्रिया की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यपालन अधिकारियों से उचित एवं समय पर उत्तर प्राप्त करें। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव ने समस्त प्रशासनिक विभागों को अनुदेश (नवम्बर 1994) जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समाविष्ट कण्डिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षा पर सुधारात्मक/प्रतिकारी कार्यवाही अथवा प्रस्तावित कार्यवाही दर्शाते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणियां विधान सभा के सम्मुख उनके प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (कोपू) की कोई सूचना या बुलाने की प्रतीक्षा किये बिना प्रस्तुत करें। 2010-11 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में 12 दिसम्बर 2012 को प्रस्तुत कर दिया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

3.8.2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति की अनुशंसायें जो कि उनके प्रतिवेदनों में सन्निहित हैं, के उत्तर कार्यवाही टिप्पणियों के रूप में कोपू द्वारा विधान सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से छः माह के अंदर प्रस्तुत करने होते हैं। कोपू की अनुशंसाओं के आधार पर 2011-12 के दौरान चार कार्यवाही की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप कंडिकाओं तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं के उत्तर

3.8.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्यस्थल पर निराकृत न की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों तथा राज्य सरकार के संबंधित प्रशासनिक विभागों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सूचित की जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रमुखों को चार सप्ताह की अवधि के भीतर सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर प्रेषित करने होते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के 30 उपक्रमों से संबंधित मार्च 2012 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों से प्रकट हुआ कि 488 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 1438 कण्डिकाएँ सितम्बर 2012 के अंत तक बकाया थी जिनके उत्तर एक से छः वर्षों तक नहीं दिये गये थे। 30 सितम्बर 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियों का विभागानुसार विवरण **परिशिष्ट – 17** में दिया गया है।

इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर प्रारूप कण्डिकाएं एवं समीक्षाएं अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को चार सप्ताह की अवधि के भीतर तथ्यों तथा आँकड़ों की पुष्टि तथा उन पर उनकी टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए अग्रेषित की जाती हैं। दो निष्पादन लेखापरीक्षा तथा सात प्रारूप कण्डिकाएँ विभिन्न विभागों को जून 2012 से अगस्त 2012 के मध्य अग्रेषित की गयी थी परंतु किसी भी प्रारूप कण्डिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा का उत्तर नहीं मिला जिसका वर्णन **परिशिष्ट – 18** में वर्णित है (जनवरी 2013)।

यह अनुशांसा की जाती है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप कण्डिकाओं/समीक्षाओं उत्तर भेजने में विफल रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया विद्यमान है (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की वसूली करने के लिए समयबद्ध अनुसूची के अनुसार कार्यवाही की जाती है और (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर देने की पद्धति को सशक्त बनाया गया है।

भोपाल
दिनांक

(डी. के. शेखर)
महालेखाकार
(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा)
मध्यप्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक